झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–03

द्वादश (मानसून) सत्र
मंगलवार, दिनांकः–01 अगस्त, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 4:34 अप० तक।
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

(माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव ने जंगली हाथी द्वारा चलकुशा एवं बरकट्ठा में उत्पात एवं क्षति पहुँचाने की सूचना सदन को दिया साथ ही इसके रोकथाम की कार्रवाई लेने का अनुरोध किया)

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–29

(क) उत्तरित कुल–02	अ०सू०–06,	श्री राजेश कच्छप,	स०वि०स०
	अ०सू०–20,	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	स00वि0स0
(ख) अपृष्ठ कुल–01	अ०सू०–10,	श्री मनीष जायसवाल	स0वि0स0
(ग) अनागत कुल–26	क्रम संख्या–35 से 60		

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–54

(ख) अनागत कुल–54 — क्रम संख्या–41 से 93 तक।

(माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने सूचना दिया कि सदन में व्यवधान क्यों उत्पन्न हो रहा है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। शुक्रवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सोमवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक कर नियोजन नीति एवं कानून–व्यवस्था पर चर्चा हेतु समय निर्धारित किया जाना था, परन्तु बैठक नहीं किया गया है। इसलिए हमें मजबूर होकर विरोध स्वरूप बेल में आना पड़ रहा है।)

(शोरगुल व अव्यवस्था के कारण 11:36 बजे पूर्वा० में सदन की कार्यवाही 12:30 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित)

(स्थगनोपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

2. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
श्री निरल पुरती	स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
श्रीमती सबिता महतो	स0वि0स0
श्री संजीव सरदार	स0वि0स0
डॉ0 लम्बोदर महतो	स0वि0स0

श्री भूषण बड़ा	स०वि०स०
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स०वि०स०
सुश्री अम्बा प्रसाद	स०वि०स०
श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स०वि०स०
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स०वि०स०
श्री किशुन कुमार दास	स०वि०स० (अपृष्ठ)
श्री विनोद कुमार सिंह	स०वि०स०
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स०वि०स०
श्री समीर कुमार महान्ती	स०वि०स०
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स०वि०स०
श्री राजेश कच्छप	स०वि०स०
श्री रामचन्द्र सिंह	स०वि०स०
श्री लोबिन हेम्ब्रम	स०वि०स०
श्री अमित कुमार यादव	स०वि०स० (अपृष्ठ)
श्री प्रदीप यादव	स०वि०स०

3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० एवं श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

परन्तु, वक्तव्य से माननीय सदस्यों के असंतुष्ट होने पर आसन से इसे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंपे जाने के साथ ही प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री प्रदीप यादव को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त करने का भी आदेश दिया गया।

4. वित्तीय कार्य

आसन से पुकारे जाने पर योजना–सह–वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा वित्तीय वर्ष–2023–24 के प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मॉगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या–04 ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)'' से संबंधित मांग प्रस्तुत की गयी, जिसपर माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बाउरी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

5. वित्तीय कार्य (क्रमांक–4 से जारी)

अंतराल के पूर्व प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी पर चर्चा में भाग लेने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी। तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बाउरी ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लिया–

1. श्री सुदिव्य कुमार **(इस क्रम में विपक्षी सदस्यों द्वारा 2:42 अप० में सदन से बहिर्गमन)**
2. श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की
3. श्री प्रदीप यादव
4. डॉ० लम्बोदर महतो
5. श्री विनोद कुमार सिंह
6. श्री सरयू राय
7. श्री अमित कुमार यादव
8. डॉ० इरफान अंसारी

(माननीय सदस्य डॉ० इरफान अंसारी ने सूचना दिया कि उनके क्षेत्र (जामताड़ा) अंतर्गत एक अल्पसंख्यक गाँव में आर.एस.एस. एवं बजरंग दल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन भी उनका सहयोग कर रहा है, जिसपर संज्ञान लेने का आग्रह किया गया।)

इसके उपरांत सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभागं ने उत्तर दिया। तदुपरान्त प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग

संख्या–04 ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)'' ध्वनिमत से सभा द्वारा पारित हुआ साथ ही अनुसूची में सम्मिलित मांगें बारी–बारी से गिलोटिन (मुखबंद) के माध्यम से सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

6. विधायी कार्य

झारखण्ड विनियोग (संख्या–03) विधेयक, 2023

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के ''खण्ड–02 एवं खण्ड–03'' ''अनुसूची'', ''खण्ड–01'', ''प्रस्तावना'' तथा ''नाम'' बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् ''झारखण्ड विनियोग (संख्या–03) विधेयक, 2023'' सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक–02 अगस्त, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–01 अगस्त, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।